न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 32/2022 बउनवानी अब्दुल समद बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0मा0 पुत्र श्री इस्माईल निवासी अंसारी मोहल्ला शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/64

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.4.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.2.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि आवेदक अब्दुल समद के पिता इस्माईल पुत्र इब्राहिम निवासी मायापुर जेतपुरा तहसील खण्डार हाल निवासी अंसारी मोहल्ला स0मा0 को ग्राम मायापुर जेतपुरा तहसील खण्डार की कृषि भूमि ख0न0 15 रकबा 5 बीघा भूमि दिनांक 6.7.1968 को आवंटन हुई थी। उक्त ख0न0 नम्बर 15 का नक्शा ट्रेस ओर जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.2()/सूकाअ/2022/32 दिनांक 7.4..2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.2.2022 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना के संबंध मे तहसीलदार खण्डार द्वारा जरिये पत्रांक 234 दिनांक 5.4.2022 से अवगत कराया कि तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 214 दिनांक 1.4.2022 से अपीलान्ट को वांछित सूचना भिजवायी जाा चुकी है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उसको उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.2.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना का संबंध ,लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय से है तथा वांछित सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 214 दिनांक 1.4.2022 [illegible]लान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। इस प्रक[illegible] अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है। [illegible] स्थिति में [illegible] अपीलान्ट खारि[illegible] जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] बाद तकमील दाखि[illegible]लेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:19:30 IST
Reason: SelfAttested